अपील सूचना अधिकार संख्या 60/2017 अनवानी श्री ओमप्रकाश सोनी, एफ. 414 श्रीहंस गार्डन, धानोरी–लोहेगांव रोड़ पो0ओ0 डिग्री (विश्रांत वाड़ी) पुणे–महाराष्ट्र बनाम बनाम लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25–09–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री ओम प्रकाश सोनी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर से प्राप्त प्रतिवेदन संख्या 1884 दिनांक 14.09.17 शामिल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश सोनी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसके चाहे अनुसार उपलब्ध नही करवाई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदनसंख्या लोसूअ/2017/1884 दिनांक 14.09.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.02.17 को जिला अभिलेखागार, पंचायत शाखा, चुनाव शाखा को संबोधित करते हुए सूचना चाही थी। इस क्रम में चुनाव शाखा द्वारा जरिये पत्रांक 848 दिनांक 11.05.17, पंचायत शाखा द्वारा जरिये क्रमांक 274 दिनांक 16.03.17 व रिकार्ड शाखा द्वारा 47 दिनांक 17.02.17 द्वारा सूचना उपलब्ध न होने बाबत सूचित कर दिया था। तत्पश्चात उनके कार्यालय के पत्रांक 1399 दिनांक 17.07.2017 द्वारा पुनः निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:–

क.सं.	चाही गई सूचना	प्रत्युतर
1.	ग्राम खुंजा राणीसर अथवा खुंजा डब्बरवाला बारानी की आबादी भूमि के संबंध में दस्तावेज की नकल	चाही गई सूचना पंचायत शाखा, रिकार्ड शाखा व चुनाव शाखा में उपलब्ध नही है।
2.	खुंजा राणीसर खुंजा डब्बरवाला तह0 हनुमानगढ़ में बीकानेर द्वारा बेचा गया या अलाट किया गया भूखण्ड बाबत विवरण श्री मघुराम उर्फ मगरसिंह पुत्र श्री सुन्दर जाति सुनार के संबंध में राज श्री बीकानेर द्वारा आबादी भूमि में जारी पट्टा की नकल।	चाही गई सूचना पंचायत शाखा, रिकार्ड शाखा व चुनाव शाखा में उपलब्ध नही है।
3.	ग्राम पंचायत राणीसर डब्बरवाला की आबादी भूमि की नकल अथवा इसके पश्चात भाखड़ा उपनिवेशन एक्यूसेशन करने बाबत विवरण के रजिस्टर की नकल	चाही गई सूचना पंचायत शाखा, रिकार्ड शाखा व चुनाव शाखा में उपलब्ध नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध राज्य लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर अनुसार चाही गई सूचना संबंधी रिकार्ड उनके यहां उपलब्ध नही है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट सूचना नही है और न ही पूर्ण विवरण आदि अंकित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 12.07.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलाथी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1793-94
5-10-17

आदेश आज दिनांक 25.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना राम
(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर